# फर्द अहकाम

( नियम 26 )

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम- नसीराबाद

रामदेव बनाम कमलावती

किस्म मुकदमा - 57,99 (122,24) राज0 काश्त0 अधि0 1955 प्रकरण संख्या 26 सन -2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 9.2.22 | अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र के साथ सलंग्न धारा 80 (2) सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है।<br>अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 14.3.22 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद | 905-26<br>10/2/22 |
| | राष्ट्रीय लोक अदालत | |
| 14.3.22 | अधिवक्ता नसीराबाद के एक प्रार्थनापत्र वाले वादिगण के बाबत पेश कर निवेदन किया कि मतभेद के प्रकरण राजीनामा होने के कारण वे वाद पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में रखी की गयी। वादीगण स्वयं की अनुपस्थिति वादीगण के अधिवक्ता के अनुसार आगे पैरवी न के जाने का [illegible] अनुसार वाद [illegible] [illegible]<br>उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद | नामजद वादी<br>प्रधान चौधरी |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:33:14 IST
Reason: SelfAttested